

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 28 अक्टूबर, 2005/कार्तिक 06,1927 (शक)

संख्या-114

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, एस.एच.ओ.,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय
सदस्यों, डॉ. हर्षवर्द्धन, डॉ जगदीश मुखी तथा श्री रमेश बिधुड़ी को दिल्ली पुलिस
अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक 28.10.2005 को 13.15 बजे,
वेलोड्रम रोड़, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 13.30 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative and other matters)
Friday, October, 28th 2005/06 Kartika 1927 (Saka)

No. 114

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha,
Delhi, was received from SHO, I.P. Estate, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Harshvardhan, Dr. Jagdish Mukhi
and Shri Ramesh Vidhuri, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi
were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Velodrum Road, New
Delhi 1315 Hrs. on 28.10.2005.

They were released at 1330 Hrs. from the same place on the same
date."

1/0

SIDDHARATH RAO
Secretary